शिवलाल बनाम राज्य सरकार व अन्य
107 / 2024 (रे0वाद)
निर्णय दिनांकः– 29 / 08 / 2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 107 / 2024(रे0वाद)
दायर दिनांक – 16 / 10 / 2024
निर्णय दिनांक – 29 / 08 / 2025

अनवान

1. शिवलाल जोशी पिता स्व0 रतन लाल जोशी निवारी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार राजस्थान।
2. डाली पुत्री दुर्गा राम जाति सालवी निवारी संग्रामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. नारायण पुत्र दुर्गा राम सालवी निवारी संग्रामपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
4. मिठु पिता दुर्गा राम सालवी निवारी संग्रामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार,

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का प्रस्तुत किया कि श्रीमति गोकली बेवा सुख लाल जी, प्यारी बेवा शेषमल जी ब्रहाम्ण निवासी देंवगढ तहसील देवगढ कि आराजियात ग्राम फुकिया का थड तहसील देंवगढ जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 203 रकबा 4.03 बीघा एवं खसरा संख्या 200 रकबा 1.05 बीघा कुल किता 2 रकबा 5.08 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी सम्वत् 2011 – 2014, 2015–2018, 2019–2022 तक दर्ज थी। उक्त भूमि शाबित खसरा संख्या 203 रकबा 4.03 बीघा भूमि तत्कालिन समय कुण्डेली बांध में भूमि आ जाने से दिनांक 16.07.1962 कि मिषल अनुसार जमीन रदो बदल हो गई। वादी खातेदार

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

को 2 बीघा भूमि खसरा संख्या 201 में दी एवं खातेदार कि 4.03 बीघा भूमि राज्य सरकार के नाम कर दी गई। तत्कालिन समय खसरा संख्या 201 व 203 मीन एक ही सटमा नम्बर थे जिनके राजस्व रेकार्ड नक्से में कही अलग अलग इन्द्राज नही थे तत्कालिन खातेदार श्रीमति गोकली बेवा सुख लाल जी, प्यारी बेवा शेषमल जी ब्रहाम्ण के नाम अन्य आराजी संख्या खसरा संख्या 378/203 रकबा 2.03 बीघा भूमि गोकली बाई के नाम दर्ज रही । उक्त भूमि वादी को जरीये रजिस्टर्ड वसीयत से प्राप्त हुई जिसका नामान्तरण संख्या 768 दिनांक 11.09.2014 को राजस्व रेकार्ड में खातेदार से वादी के नाम दर्ज हुये। वादी तत्कालिन खातेदार श्रीमति गोकली बेवा सुख लाल जी, प्यारी बेवा शेषमल जी ब्रहाम्ण के कब्जे सुदा भूमि जो करीब 80 वर्षो से लगातार चली आ रही थी उसी पर काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहे है रद्धो बदल कि कार्यवाही के बाद 4.03 बीघा भूमि बिलानाम करने के बाद समीप ही 2 बीघा भूमि वादी को दी गई उक्त रद्धो बदल कि कार्यवाही भी समसामायिक रूप से भूमि तालाब में चले जाने से की गई परन्तु रद्धो बदल करते समय रकबा क्षैत्र में तत्कालिन खातेदार को कुलिया भूमि का आधा ही दर्ज किया गया। वादी कि अन्य खसरा संख्या 378/203 रकबा 2.03 बीघा भूमि का नवीन सेटलमेंट वर्श 2076 में होने पर खसरा संख्या 508 रकबा 0.4700 हैक्टर वादी के नाम दर्ज किये गये उक्त भूमि का नक्सा मनमकसुद तरीके से दर्ज कर दिया गया। वादी के पुर्व खातेदारो कि जो भूमि रद्धोबदल की गई थी वह भूमि तालाब में जाने से रद्धो बदल कि गई परन्तु राज्य सरकार ने बिना कोई रेकार्ड देखे तालाब कि भूमि ही 03.06.1990 को श्री दुर्गा राम पिता उदा जी बलाई निवासी संग्रामपुरा को खसरा संख्या 203 रकबा 4.03 बीघा भूमि आंवटित कि गई उसके साथ ही श्री दुर्गाराम को खसरा संख्या 201 मीन में नम्बर 410/201 रकबा 17 विस्वा भूमि भी आंवटित कि गई एवं आवंटन के समय जमाबन्दी में नक्सा अंकित किया गया । उक्त खसरा संख्या 203 का नवीन खसरा संख्या 509 एवं खसरा संख्या 410/201 का नवीन खसरा संख्या 506 दर्ज किये गये। साथ ही समीप स्थित पुर्व खसरा संख्या 201 के नवीन नम्बर 507 बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया। दुर्गा राम कि भूमि उनकी मृत्यु के बाद श्री डाली पुत्री दुर्गा राम, नारायण पुत्र दुर्गा राम एवं मिठु पिता दुर्गा राम

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

के नाम बतौर राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी के रूप में दर्ज रही। नवीन सटलमेंट में सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट करते समय वादी कि भूमि जहा वादी काबिज था उसके विपरीत राजस्व नक्सा में तरमीम किया गया एवं वादी कि भूमि के आगे मुख्य सडक के पास प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कि भूमि राजस्व नक्से में बतौर खसरा संख्या 506 व 509 दर्शाइ दी गई एवं वादी के खसरा संख्या 508 जो मुख्य सड़क के पास स्थित था उसे गलत नक्से में तरमीम किया गया पुर्व राजस्व तरमीम नक्से अनुसार खसरा संख्या 378/203 जो वादी को विरासत वसीयत से प्राप्त हुई वह भूमि मुख्य सडक के पास स्थित थी एवं खसरा संख्या 203 तत्कालिन खातेदारो ने तालाब के डुब जाने से रद्धो बदल कराई वह भूमि बिलानाम हुई जो दुर्गा राम को आवंटित हुई वह कुण्डेली तालाब कि अन्दरूनी सीमा में स्थित थी जिससे नवीन सेटलमेंट में भूमि को मुख्य सडक पर नक्से में रदोबदल करते हुये खसरा संख्या 506 व 509 इर्ज कर दिये गये उक्त मिलान तरमीम खसरा सेटलमेंट विभाग कि गौर लापरवाही बिना कब्जे देखे, बिना आवंटन नक्सा देखे दर्ज कर दिये गये जबकि वादी वास्वत में नवीन खसरा संख्या 507 एवं खसरा संख्या 506 के माफिक रकबा 0.4700 हैक्टर वादी कि है एवं वादी उक्त भूमि का ही उपयोग उपभोग कर रहा है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज खसरा संख्या 507 बिलानाम एवं 506 वादी माफिक हिस्से अपने नाम राजस्व रेकार्ड में जरीये इन्द्राज शुद्धि दर्ज कराये जाने की घोषणा का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 उक्त सेटलमेंट बाद नक्सा बनाया जाकर प्रार्थी कि भूमि को खुर्द बुर्द करने कि नियत से वादी कि भूमि पर आये एवं वादी के कहा कि आप उक्त भूमि पर नवीन नक्से में पीछे है छिपे जाओ आगे कि भूमि पर हम कब्जा कर विक्रय करेगे एवं उक्त भूमि पर अन्यत्र भू–माफिया को लेकर आये तब वादी को राजस्व रेकार्ड कि सम्पुर्ण नकले निकलवानी पडी तब वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त राम्पुर्ण गलतीये सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन नक्सा तरमीम करते समय हुई तब से वाद हेतु उत्पन्न हो निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 गलत नक्सा तरमीम हो जाने का फायदा उठा विक्रय, बय, हस्तानान्तरण एवं किशम परिवर्तन करने पर आदमा है एवं वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने कि धमकिया दे रहे है जिससे जरीये स्थाई निशेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है। कि यह की ग्राम फुकिया का

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

थड पटवार सर्कल कामली तह0 देवगढ जिला राजसमन्द के वर्तमान खसरा संख्या 508 रकबा 0.4700 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड व नक्से में शुद्ध किया जाकर खसरा संख्या 507 बिलानाम सरकार एंव खसरा संख्या 506 प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कि जगह वादी का नाम राजस्व रेकार्ड व नक्से में तरमीम करते हुये दर्ज किये जाने कि घोषणा व इसी आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें। ग्राम फुकिया का थड पटवार सर्कल कामली तह0 देवगढ जिला राजसमन्द के वर्तमान खसरा संख्या 507 बिलानाम सरकार एंव खसरा संख्या 506 भूमी पर वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण या अन्य कोई व्यक्ति दखल अन्दाजी एवं बाधा, रूकावट उत्पन्न नहीं करे उक्त भूमि जो गलत नक्से में तरमीम हुई है उसका फायदा उठाकर किसी अन्य को बय, बक्षिस, हस्तानान्तरण नही करे, भूमि की किस्म परिर्वतन नही करे इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें व इसी आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02, 03 एवं 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 02, 03 एवं 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब में उल्लेख किया कि गत जमाबन्दी सवत 2071—74 के खाता सं0 47 में खसरा सं0 378/203 रकबा 2.03 बीघा शिवलाल पिता रतनलाल जोशी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उक्त खसरा सं0 378/203 से नया खसरा सं० 508 बनाया गया है। वर्तमान खाता स० 35 में खसरा सं0 508 रकबा 0.47 हैक्टयर किस्म बारानी 2 शिवलाल पिता रतनलाल जोशी के नाम दर्ज रिकार्ड है। संलग्न गत नक्शा लठ्ठा शीट में आराजी संख्या 378/203 की तरमीम नीले रंग से दर्शायी गयी है जबकि वर्तमान नक्शा ट्रेस उक्त भूमि लाल रंग से दर्शायी गयी है जो कि भिन्न—भिन्न है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस जाहिर किया कि वादी के आराजी संख्या 378/203 रकबा 02.03 बीघा भूमि का नवीन सेटलमेन्ट वर्ष 2076 में खसरा संख्या 508 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि का नक्शा सेटलमेन्ट विभाग ने गलत

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

तरमीम कर दिया गया। वादी वर्तमान आराजी संख्या 507 एवं 506 में काबिज है। जिसे जरिये इन्द्राज शुद्धि किया जाना आवश्यक है। दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार हैः–

88. Suits for declaration of right—

1. (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.
2. (2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.
3. (3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.
4. (4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । वादी द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा पेश जवाब एवं मौका कमिश्नरी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम फुकियाथड़ पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ के वर्तमान खसरा संख्या 508 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में शुद्ध किया जाकर खसरा सख्या 507, 506 एवं खसरा संख्या 508 का हिस्सा मिलाते हुए वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में माफिक रकबा दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। खसरा संख्या 506, 507, 508, 509 को एकचक करते हुए माफिक पूर्व नक्शें एवं पटवार हल्का कामली की रिपोर्ट अनुसार, वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शें में दर्ज कि जाकर शेष आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के संयुक्त हिस्से में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 29 / 08 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्च[illegible] R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

शिवलाल बनाम राज्य सरकार व अन्य
107/2024 (रे0वाद)
निर्णय दिनांकः– 29/08/2025

मूल वाद गे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 107/2024(रे0वाद)

अनवान

1. शिवलाल जोशी पिता स्व0 रतन लाल जोशी निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1 तहसीलदार तहसील देवगढ जिला राजसमन्द जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार राजस्थान।
2. डाली पुत्री दुर्गा राम जाति सालवी निवासी संग्रामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. नारायण पुत्र दुर्गा राम सालवी निवासी संग्रामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
4. मिठु पिता दुर्गा राम सालवी निवासी संग्रामपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार,

में इस आशय मे दिनांक 29/08/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम फुकियाथड़ पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ के वर्तमान खसरा संख्या 508 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में शुद्ध किया जाकर खसरा सख्या 507, 506 एवं खसरा संख्या 508 का हिस्सा मिलाते हुए वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में माफिक रकबा दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। खसरा संख्या 506, 507, 508, 509 को एकचक करते हुए माफिक पूर्व नक्शें एवं पटवार हल्का कामली की रिपोर्ट अनुसार, वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शें में दर्ज कि जाकर शेष आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 से

04 के संयुक्त हिस्से में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 29 / 08 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द